10/1/20

इतना लिखने पर वकील वादी सं. 1 की द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई, बहस के दौरान वकील वादी ने कथन किया कि वादी सं. 1 द्वारा अन्य वादीगण के साथ-साथ वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा इस हेतु उक्त वाद को चलाया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है इस कारण नया वादपत्र प्रस्तुत करने के अपने हक व अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद पत्र को विड्रो किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नया वादपत्र प्रस्तुत करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद पत्र को विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान करावें। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की बाबत पर मनन किया। न्यायहित में वकील वादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को वाद पत्र विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वकील वादी निर्धारित समयावधि में नया वादपत्र पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2020.02.06 15:37:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: